भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3545

दिनांक 10.08.2021/ 19 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

नशीले पदार्थों की तस्करी

†3545. डॉ. उमेश जी. जाधवः
श्री प्रताप सिम्हाः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने देश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में युवाओं को नशे की लत से पीड़ित होने से रोकने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनसीबी ने भोले-भाले और निर्दोष युवाओं तक मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले स्रोत की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नशीली दवाओं के नियंत्रण और नशे की लत के शिकार युवाओं के पुनर्वास के लिए विशेष निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चिकित्सकों के पर्चे के बिना ऐसी दवाओं की ऑनलाइन खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिनमें नशीली दवाओं से संबंधित रसायन मौजूद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में कब तक कदम उठाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने युवाओं को प्रभावित करने वाले मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए विभिन्न कार्य शुरू किए हैं और जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के सक्रिय सहयोग से, एक विशेष अभियान के रूप में, बच्चों के बीच मादक पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम करने के लिए दिनांक 09.02.2021 को एक "संयुक्त कार्य योजना" शुरू की

गई थी। "संयुक्त कार्य योजना", मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ रही सभी केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों तथा बच्चों के कल्याण से जुड़ी एजेंसियों के लिए एक साथ आने और संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करने हेतु एक प्लेटफार्म है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने पहले ही भारत में ऐसे 272 जिलों की पहचान कर ली है, जो मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन की दृष्टि से संवेदनशील हैं तथा इस जानकारी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और एनसीपीसीआर के साथ साझा किया गया था। उपर्युक्त के अलावा, एनसीबी ने सोशल मीडिया तथा स्कूलों, कॉलेजों और कारपोरेट कार्यालयों आदि में ऑनलाइन/भौतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कई जागरूकता अभियान भी संचालित किए हैं।

(ख): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जब्ती के सभी मामलों में उपयुक्त जांच करता है। मामलों के फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मादक पदार्थों की तस्करी का गिरोह समाप्त हो गया है। मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क संबंधी स्रोत/सरगना की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीबी द्वारा की गई जब्ती और इन मामलों में गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ तस्करों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

शीर्षक		**2019**	**2020**	**2021*** **(दिनांक 24.06.2021 तक)**
कुल मामले		385	412	301
कुल गिरफ्तारियां	भारतीय	547	565	514
	विदेशी	95	62	38

(ग): भारत सरकार स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकारों को अपनी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2020-21 में, 06 राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु और त्रिपुरा को कुल 2.54 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ''मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)'' से संबंधित स्कीम को कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में नशे के आदियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), किशोरों में मादक पदार्थों के प्रयोग की शुरूआत में ही रोकथाम हेतु समुदाय आधारित पीयर लेड

इंटरवेशन (सीपीएलआई), आउटरीच एवं ड्राप इन केंद्रों (ओडीआईसी) और व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के संचालन और रख-रखाव हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, एनएपीडीडीआर के कार्यान्वयन हेतु 260 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(घ) और (ङ): दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को विनियमित करने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-फार्मेसी के पंजीकरण, कुछ श्रेणियों की दवाओं की ई-फार्मेसी के माध्यम से बिक्री पर रोक, ई-फार्मेसी की मॉनीटरिंग, आदि हेतु प्रावधान वाले उपयुक्त विधान को बनाने के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

*****